रविंदर सिंह चना

बनाम

खाना संपत्तियाँ और बुनियादी सुविधाएँ पी. वी. टी. लिमिटेड (सिविल अपील सं. (सी)। 5793 2022 का)

/

24 अगस्त, 2022

[एस**.** अब्दुल नजीर और जे**.** के**.** माहेश्वरी**,** जे**.** जे**.]**

उपभोक्ता संरक्षण-निश्चित समय अवधि के भीतर राशि की प्राप्ति के बाद भी फ्लैट का निर्माण पूरा नहीं हुआ-राज्य आयोग ने प्रत्यर्थी को रुपये की कुल राशि वापस करने का निर्देश दिया। 21.18 ब्याज के साथ अपीलार्थी को लाखों-हालाँकि, राष्ट्रीय आयोग ने ब्याज के साथ Rs.16,18,000/- की वापसी का निर्देश दिया-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गया:राष्ट्रीय आयोग ने राज्य आयोग के आदेश को आंशिक रूप से उलटने में गलती की-राष्ट्रीय आयोग के आदेश को दरकिनार कर दिया-उत्तरदाता को राज्य आयोग के आदेश के अनुसार दो महीने के भीतर राशि का भुगतान/वापसी करने के लिए, यदि पहले से ही भुगतान/वापसी नहीं की गई है।

/

/

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2022 की सिविल अपील संख्या 5793।

2021 की पहली अपील No.387 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली के दिनांक 17.02.2022 के निर्णय और आदेश से।

/

अक्षत श्रीवास्तव, सतविक माथुर, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।याशीष चंद्र, यश अग्रवाल, देवेश प्रताप सिंह, अधिवक्ता।प्रत्यर्थियों के लिए।

/

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः

आदेश

1. अनुमति दी गई।

/

2. दिनांक 15.10.2020 के एक आदेश द्वारा, एम. पी. राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, भोपाल, (एम. पी.) (संक्षेप में 'राज्य आयोग') ने प्रतिवादी को दो महीने की अवधि के भीतर अपीलार्थी को ब्याज के साथ कुल <ID2,18,000/- (केवल 21 लाख अठारह हजार रुपये) की राशि वापस करने का निर्देश दिया।राज्य आयोग के आदेश का कार्यात्मक भाग इस प्रकार हैः

/

136 ए.

137

रविंदर सिंह चना बनाम खन्ना संपत्तियाँ और बुनियादी सुविधाएँ पी. वी. टी. लिमिटेड।

“उपरोक्त जांच/अवलोकन और न्याय उद्धरणों के आलोक में यह साबित होता है कि रुपये की राशि प्राप्त होने के बाद भी। एक निश्चित समय अवधि के भीतर, जिसे आम तौर पर लगभग दो साल माना जाता है, फ्लैट का निर्माण पूरा नहीं हुआ है।इसलिए शिकायतकर्ता ब्याज के साथ जमा राशि वापस पाने का हकदार है।इसलिए इस शिकायत मामले की अनुमति/स्वीकार किया जाता है और प्रतिवादी को रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है। 21.18 लाख (रु। केवल 21 लाख 18 हजार) दो महीने की अवधि के भीतर और उपरोक्त राशि पर 9 प्रतिशत प्रति वर्ष के साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए, जमा करने की अंतिम किस्त की तारीख से लेकर प्राप्ति की तारीख तक।प्रत्यर्थी को भी 5,000/- रुपये की राशि का भुगतान करना होगा। केवल पाँच हजार) शिकायतकर्ता को मुकदमेबाजी के खर्च के रूप में। "

/

/

3. हालांकि, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली (संक्षेप में 'राष्ट्रीय आयोग') ने उक्त आदेश की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर प्रति वर्ष 9 प्रतिशत की

दर से ब्याज के साथ 18,000 रुपये (केवल सोलह लाख अठारह हजार रुपये) की वापसी का निर्देश देते हुए आक्षेपित आदेश पारित किया है।

/

4. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने और अभिलेख पर रखी गई सामग्री के अवलोकन पर, हमारा विचार है कि राष्ट्रीय आयोग ने राज्य आयोग के आदेश को आंशिक रूप से उलटने में गलती की थी।इसलिए, इसमें आक्षेपित राष्ट्रीय आयोग के आदेश को एतद्वारा दरकिनार कर दिया जाता है और राज्य आयोग के दिनांक 15.10.2020 के आदेश को एतद्वारा बहाल किया जाता है।

/

5. प्रतिवादी को आज से दो महीने की अवधि के भीतर राज्य आयोग के दिनांकित 15.10.2020 के आदेश के अनुसार राशि का भुगतान/वापसी करने का निर्देश दिया जाता है, यदि पहले से ही भुगतान/वापसी नहीं की गई है।

/

6. दीवानी अपील का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

दिव्या पांडे

अपील का निपटारा किया गया।

/

(सहायकः रूपांशी विरंग, एलसीआरए)

/